सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 4, बुधवार, शाके 1943 - फरवरी 23, 2022

Phalguna 4, Wednesday, Saka 1943 - February 23, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (ii)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.655.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित **"एमनेस्टी स्कीम-2022"**, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम **एमनेस्टी स्कीम-2022** है।

(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत होगी और 31.08.2022 तक प्रवृत रहेगी।

2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन कोई परादेय मांग या विवादित रकम हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);

(iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);

(vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);

(vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);

(viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और

(ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);

(ख) "स्वीकृत कर" से कोई रकम अभिप्रेत है जो व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लिखित में स्वीकृत की गई है;

(ग) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;

(घ) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(च) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;

(झ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये है;

(ञ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;

(ट) "सरकारी इकाई" से राजस्थान सरकार का कोई विभाग, या निगम, कंपनी, लोक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय जिसमें राजस्थान सरकार का शेयर पूंजी है, अभिप्रेत है;

(ठ) "किस्त" से परादेय मांग या विवादित रकम का, भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है;

(ड) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है;

(ढ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है :-

सारणी

क्र.सं.	चरण	अवधि
1.	चरण-।	30.06.2022 तक
2.	चरण-।।	01.07.2022 से 31.07.2022
3.	चरण-।।।	01.08.2022 से 31.08.2022

; और

(ण) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	परादेय मांग, जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित है।	(क) आवेदक, वचनबंध और घोषणा प्ररूपों के ब्यौरों के साथ, निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत कर देता है:- (i) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) का प्रतिपर्ण; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) के पूर्व प्रस्तुतीकरण का सबूत; या (iii) माल के अन्तरराज्यिक विक्रय या संचलन का कोई अन्य सबूत।	अंतर कर, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
		(ख) उपर्युक्त (क) में नहीं आने वाले मामले:- (i) **चरण-। :** आवेदक ने	अंतर कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की

		अंतर कर का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने अंतर कर का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने अंतर कर का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
2.	परादेय मांग/विवादित रकम, चाहे शास्ति अधिरोपित की गयी है या नहीं: (i) जो कर की दर/माल के वर्गीकरण/अधिनियम के निर्वचन से संबंधित है; या (ii) इस सारणी के क्रम संख्यांक 3 के अधीन आने वाली से भिन्न, जो विक्रय मिसमैच या आगत कर मुजरा के मिसमैच या गलत रूप से उपभुक्त आगत कर मुजरा से संबंधित है; या (iii) जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 3 के अधीन आने वाले से भिन्न अपवंचन मामलों से संबंधित है; या (iv) जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 से संबंधित हैं और लेखा पुस्तकों और/या विवरणियों में संव्यवहार दर्शित किये गये हैं; या (v) जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर	(i) **चरण-I:** आवेदक ने परादेय मांग या विवादित रकम के कर की 40 प्रतिशत रकम के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने परादेय मांग या विवादित रकम के कर की 45 प्रतिशत रकम के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने परादेय मांग या विवादित रकम के कर की 50 प्रतिशत रकम के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	कर की शेष रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

	कर अधिनियम, 1988 से संबंधित है; या (vi) जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से संबंधित है; या (vii) जो राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 से संबंधित है; या (viii) जो राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 से संबंधित है; या (ix) जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्रधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं; या (x) जिसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम, 1890/ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।		
3.	परादेय मांग या विवादित रकम,- (i) जो मिथ्या या कूटरचित बीजकों से संबंधित, गलत रुप से उपयोग में लिये गये आगत कर मुजरा से संबंधित है; या (ii) अपवंचन मामले जो लेखाओं में अंकित नहीं किये गये माल और/या क्रय/विक्रय	(i) **चरण-I :** आवेदक ने कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-II :** आवेदक ने शास्ति के 5 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-III :** आवेदक ने शास्ति के 10 प्रतिशत के	ब्याज की संपूर्ण रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण/शेष रकम।

	के संव्यवहार (संव्यवहारों) को लेखा पुस्तकों से छिपाने से संबंधित हैं।	साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	
4.	परादेय मांग/विवादित रकम जो, अनन्य रूप से ब्याज से संबंधित है और 25 करोड़ रुपये से अधिक है।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने ब्याज का 40 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने ब्याज का 45 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने ब्याज का 50 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम।
5.	किसी सरकारी इकाई और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थापन के विरुद्ध परादेय मांग/विवादित रकम।	लागू नहीं।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ कर की रकम और ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
6.	उपर्युक्त प्रवर्ग 1,2,3,4 या 5 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या विवादित रकम।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने कर की रकम का 75 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने कर की रकम का 80 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने कर की रकम का 85 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

स्पष्टीकरण:

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो नीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई व्यवहारी चरण-I, II या, यथास्थिति, III की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में

अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्नानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा-

क्र.सं.	**उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की जाने वाली अपेक्षित रकम (रु. में)**	**किस्तों की अनुज्ञात अधिकतम संख्या**
1.	50 लाख तक	4
2.	50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	5
3.	1 करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालावधि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक यदि उस चरण के फायदे लेना चाहता है जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी दी है तो उससे उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है, दस दिन के भीतर प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से परावृत्त किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदे उपभुक्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त किसी रकम को सम्मिलित करते हुए जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।

(3) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।

(4) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(5) जहां 30.06.2017 तक की अवधि से संबंधित मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।

(6) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर वह उसे प्राथिमकता के आधार पर निपटायेगा।

(7) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/ पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

(i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;

(ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और

(iii) इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/ विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाईयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 6 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामलें में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) ऐसे मामलों में, जहां एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन अपेक्षित रकम पहले ही निक्षिप्त कर दी गयी है, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा उक्त स्कीम के अधीन इस संबंध में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार एएस-।। जनित किया जायेगा।

(2) समस्त अन्य मामलों में, जिनमें एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन कोई टास्क लंबित है, जहां इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व संदाय या तो नहीं किया गया है या भागतः किया गया है, एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के चरण-1 के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम, इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संसूचित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(3) एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-103]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.656.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क और 51ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित **"जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी**

स्कीम", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम है।

(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत होगी और 31.08.2022 तक प्रवृत रहेगी।

2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध अधिनियम के अधीन 31.01.2022 तक सृजित परादेय मांग या विवादित रकम हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);

(iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;

(ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(ङ) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(छ) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;

(ज) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्रधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं;

(झ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;

(ञ) "किस्त" से परादेय मांग या विवादित रकम का, भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है;

(ट) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है;

(ठ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है :-

सारणी

क्र.सं.	चरण	अवधि
1.	चरण-।	30.06.2022 तक
2.	चरण-।।	01.07.2022 से 31.07.2022
3.	चरण-।।।	01.08.2022 से 31.08.2022

; और

(ड़) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	अपवंचन मामलों से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम और जो 31.03.2017 तक सृजित हुई है।	(i) **चरण-।:** आवेदक ने कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-।।:** आवेदक ने शास्ति के 5 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-।।।:** आवेदक ने शास्ति के 10 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	शास्ति की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
2.	अपवंचन मामलों से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम और जो 31.03.2017 के पश्चात और 31.01.2022 तक सृजित हुई है।	(i) **चरण-।:** आवेदक ने ब्याज के 15 प्रतिशत और शास्ति के 15 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-।।:** आवेदक ने ब्याज के 20 प्रतिशत और शास्ति के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की शेष रकम।

		करा दी हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने ब्याज के 25 प्रतिशत और शास्ति के 25 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	
3.	परादेय मांग जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित हो।	(क) आवेदक, वचनबंध और घोषणा प्ररूपों के ब्यौरों के साथ, निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत कर देता है:- (i) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) का प्रतिपर्ण; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) के पूर्व प्रस्तुतीकरण का सबूत; या (iii) माल के अन्तरराज्यिक विक्रय या संचलन का कोई अन्य सबूत।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ अंतर कर, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
		(ख) उपर्युक्त (क) में नहीं आने वाले मामलों में:- (i) **चरण-I:** आवेदक ने अंतर कर का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने अंतर कर का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने अंतर कर का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	अंतर कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
4.	31.03.2017 तक सृजित और उपर्युक्त प्रवर्ग 1 या 3 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या विवादित रकम।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने कर का 90 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने कर का 95 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने कर का 100 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
5.	31.03.2017 के पश्चात् और 31.01.2022 तक सृजित और उपर्युक्त प्रवर्ग 2 या 3 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या	(i) **चरण-I:** आवेदक ने कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने ब्याज की रकम, यदि कोई हो, के 10 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने ब्याज की रकम,	ब्याज की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और विलम्ब फीस, यदि

	विवादित रकम।	यदि कोई हो, के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	कोई हो, की संपूर्ण रकम।

स्पष्टीकरण:

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो नीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई व्यवहारी चरण-।, ।। या, यथास्थिति, ।।। की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्नानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा-

क्र.सं.	**उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की जाने वाली अपेक्षित रकम (रु. में)**	**किस्तों की अनुज्ञात अधिकतम संख्या**
1.	50 लाख तक	4
2.	50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	5
3.	1 करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालावधि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक यदि उस चरण के फायदे लेना चाहता है जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी दी है तो उससे उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है, दस दिन के भीतर प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से परावृत्त किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदे उपभुक्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त रकम को सम्मिलित करते हुए जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के

जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तद्नुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए उपलब्ध होंगे।

(3) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(4) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।

(5) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर वह उसे प्राथिमकता के आधार पर निपटायेगा।

(6) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

(i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;

(ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और

(iii) इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/ विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाईयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 5 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-104]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.657.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. नियम 21 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 21 के उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी कालावधि से संबंधित घोषणा प्ररूपों/प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की तारीख को बढ़ा सकेगा।"; और

(ii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-105]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.658.-राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 12) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध इस अधिसूचना की तारीख पर कोई मांग परादेय है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से इस शर्त के अध्यधीन छूट देती है कि पूर्व में संदत्त कर, ब्याज और/या शास्ति, यदि कोई हो, की रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-106]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.659.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान खण्ड 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5. एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।"

(ii) विद्यमान खण्ड 12 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"12. 1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र. सं.	**क्षेत्रफल**	**जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी या राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार घटाया जायेगा**
1.	1000 से 2000 वर्गमीटर	5%
2.	2000 वर्गमीटर से अधिक और 3000 वर्गमीटर तक	10%
3.	3000 वर्गमीटर से अधिक	15%

";

(iii) विद्यमान खण्ड 20 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान टिप्पण (i) से पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड 21, 22, 23 और 24 और उनकी प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"21. पर्यटन इकाई प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

खण्ड 22 और 23 में विनिर्दिष्ट इकाइयों को छोडकर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित पर्यटन इकाई के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

22. रिसोर्ट, स्पोर्टस रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित रिसोर्ट, स्पोर्टस रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क या एनिमल सफारी पार्क के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

23. कन्वेंशन केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र और सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

कन्वेंशन केन्द्र या सामुदायिक केन्द्र या सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, नगरीय क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और ग्रामीण क्षेत्र में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त खण्ड 21, 22 और 23 में विनिर्दिष्ट दरें केवल तभी लागू होंगी जब क्रेता या, यथास्थिति, पट्टाधारक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन प्रस्तुत कर देता है।

24. भण्डागार प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

भण्डागार प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।"; और

(iv) विद्यमान टिप्पण (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड 1 से 20" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड 1 से 24" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-107]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.660.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, से संबंधित हस्तान्तरण विलेख, यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख 31.03.2023 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना 01.04.2022 से प्रभावी होगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-108]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.661.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 58 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (3) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान विद्यमान दर में ऐसी वृद्धि पांच प्रतिशत होगी।"

[प.4(2)वित्त/कर/2022-109]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.662.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-275 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पैतृक संपत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और पांच सौ रुपये प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-110]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.663.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(17)वित्त/कर/2019-49 दिनांक 01.08.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कंपनियों के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर पचास करोड़ रुपये से अधिक संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-111]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.664.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(20)वित्त/कर/2005-219 दिनांक 24.03.2005 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि होटल के विकास के प्रयोजन के लिए, राज्य में हैरिटेज संपत्ति के विक्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये प्रमाणपत्र या अनुमोदन के प्रस्तुत किये जाने पर 75 प्रतिशत घटाया जायेगा।

स्पष्टीकरण: "हैरिटेज संपत्ति" से हैरिटेज विशिष्टताओं वाला 01.01.1950 से पूर्व निर्मित और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कोई किला, दुर्ग, महल, हवेली, गढ़, शिकार गृह या आवास अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-112]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.665.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 100 वर्गगज तक के क्षेत्र वाले आवासीय भू-खण्ड या 50 वर्गगज तक के क्षेत्र वाले व्यावसायिक भू-खण्ड, चाहे खाली हो या सन्निर्मित, के विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-113]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.666.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2015-235 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक बहुमंजिला भवन की इकाई को छोड़कर स्थावर संपत्ति के पश्चात्वर्ती अन्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार घटाया जायेगा:-

क्र. सं.	पश्चात्वर्ती अन्तरण की कालावधि	पश्चात्वर्ती अन्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क की रकम निम्नानुसार घटायी जायेगी-
1.	ऐसी संपत्ति के पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर	ठीक पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख पर संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम के 15 प्रतिशत के बराबर
2.	ऐसी संपत्ति के पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर	ठीक पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख पर संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम के 10 प्रतिशत के बराबर
3.	ऐसी संपत्ति के पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर	ठीक पूर्ववर्ती अन्तरण विलेख पर संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम के 5 प्रतिशत के बराबर

यह अधिसूचना 31.03.2025 तक प्रवृत रहेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-114]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.667.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-274 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान खण्ड (ii) और (iii) और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) पुत्री या पुत्र-वधु के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी;

(iii) पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी;"

[प.4(2)वित्त/कर/2022-115]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.668.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2020-132 दिनांक 20.02.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्थावर संपत्ति के लोक नीलाम के मामले में निष्पादित विक्रय प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख या पट्टा विलेख की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नीलाम कीमत पर प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-116]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.669.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

8.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा आबंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)	आबंटन या विक्रय के मद्धे प्रभारित प्रतिफल की रकम पर हस्तान्तरण की दर से।

"

[प.4(2)वित्त/कर/2022-117]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.670.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क, ब्याज और शास्ति की बकाया मांग का, कलक्टर (स्टाम्प), राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय द्वारा विनिश्चित या के समक्ष लंबित नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट मामलों के प्रवर्ग में, स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमा तक, परिहार किया जायेगा:-

सारणी

क्र. सं.	मामलों के प्रवर्ग	शर्तें	परिहार	
			स्टाम्प शुल्क	ब्याज और शास्ति
1	2	3	4	5
1.	01.04.2001 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	45%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
2.	01.04.2001 के पश्चात् और 31.03.2011 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	35%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
3.	01.04.2011 के पश्चात् और 31.03.2016 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	25%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	20%	100%
4.	01.04.2016 के पश्चात् और	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	20%	100%

	31.03.2021 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	15%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2022 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	10%	100%

टिप्पण:1. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाईल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के लेखे समायोजित की जायेगी।

2. पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-118]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.671.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा यदि स्टाम्प शुल्क की मांग, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षा या निरीक्षण के आधार पर सृजित की गयी है और स्टाम्प शुल्क की बढ़ी हुई रकम प्रथम मांग नोटिस की तारीख से एक मास के भीतर निक्षिप्त करा दी जाती है।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-119]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.672.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, संख्यांक प.2(15)वित्त/कर/2015-119 दिनांक 27.01.2020, प.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 08.03.2017 और प.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 08.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है,

इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जायेगा:-

सारणी

क्र.सं.	**लिखत का विवरण**	**स्टाम्प शुल्क**
1	**2**	**3**
1.	संपादन आस्तियों (मानक आस्तियां) के संबंध में निष्पादित ऋण समनुदेशन	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत
2.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत
3.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत
4.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम का 0.25 प्रतिशत
5.	अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-120]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.673.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वरिष्ठ नागरिक द्वारा निष्पादित प्रतिगामी बंधक से संबंधित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: (i) नागरिक, जिसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वरिष्ठ नागरिक समझा जायेगा।

(ii) जहां प्रतिगामी बंधक की लिखत विवाहित दम्पती द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जाती है, इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा तभी उपलब्ध होगा यदि उनमें से किसी एक ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-121]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.674.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के संबंध में,-

(i) स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा; और

(ii) रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण: (i) नागरिक, जिसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वरिष्ठ नागरिक समझा जायेगा।

(ii) जहां विक्रय विलेख विवाहित दम्पती के पक्ष में संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाता है, इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा तभी उपलब्ध होगा यदि उनमें से किसी एक ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-122]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.675.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा

78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा या उसके निमित्त निष्पादित ऋण से संबंधित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-123]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.676.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-276 दिनांक 24.02.2021 और प.4(2)वित्त/कर/2021-286 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन पर या सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी, स्वत्वधारी फर्म या किसी अन्य कारबार इकाई के किसी कंपनी में संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति के अन्तरण को अन्तर्विष्ट करने वाली लिखत के संबंध में,-

(i) स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा; और
(ii) दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-124]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.677.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि डा. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम विनिधान स्कीम, 2022 के अधीन पात्र किसी उद्यम के पक्ष में निष्पादित निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, उक्त स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, 75 प्रतिशत घटाया जायेगा:-

(i) संनिर्माण सहित या उसके बिना, भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत; या
(ii) ऋण या बंधक से संबंधित लिखतें।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-125]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.678.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन स्कीम के अधीन पात्र किसी पर्यटन इकाई के पक्ष में निष्पादित, संनिर्माण सहित या उसके बिना, भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, उक्त स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, 75 प्रतिशत घटाया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-126]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.679.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-99 दिनांक 17.12.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम के अधीन पात्र किसी उद्यम के पक्ष में निष्पादित, संनिर्माण सहित या उसके बिना, भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, उक्त स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, 75 प्रतिशत घटाया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2022-127]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.680.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/8 दिनांक 10.07.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय मोटर यान कर के पचास प्रतिशत की, इसके द्वारा छूट देती है:-

(i) ऐसे यान, जो केवल लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) द्वारा चालित हैं और यान निर्माताओं द्वारा इसी रूप में मूल रूप से विनिर्मित हैं; और

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन के अध्यधीन रहते हुए ऐसे यान जो रेट्रो फिटमेंट किट द्वारा केवल कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) द्वारा चलाये जाने हेतु संपरिवर्तित किये गये हैं। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में रेट्रो फिटमेंट के पृष्ठांकन से पूर्व संदत्त कर की रकम, यदि कोई हो, प्रतिदत्त नहीं की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/8ए]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.681.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 25 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 25 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाडियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाडियों से भिन्न के लिए तीस दिन से कम की नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्पण की कालावधि, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन से अधिक की नहीं होगी।"

[प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.682.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान खण्ड (iii-क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "50 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान खण्ड (ix) के पश्चात् और विद्यमान टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (x) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(x) मंजिली यान, उनको छोड़कर जो अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चल रहे हैं, पर मार्च माह के लिए कर, संदेय कर के एक चौथाई के समतुल्य

होगा, यदि पूर्ववर्ती ग्यारह माह के लिए लागू कर राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (v) में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त कर दिया गया है।"।

[प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/3ई]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.683.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, के संदाय से छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार दिनांक 31.03.2022 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ii) नष्ट हो चुके यानों से भिन्न यानों पर 31.12.2021 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से छूट देती है, यदि,-

(क) मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर 31.12.2021 के पश्चात् शोध्य शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, 31.03.2022 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 31.03.2022 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।

(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जायेगा।

(iv) अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की पूर्व में संदत्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(v) यदि छूट के संबंध में कोई विवाद प्रोद्भूत होता है तो परिवहन आयुक्त का विनिश्चिय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[प.6(260)परि/कर/मु./2011/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.684.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./95/4 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी शारीरिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रीकृत और अनन्य रूप से उसके द्वारा उपयोग किये जाने वाले दस लाख रुपये से अनधिक की लागत वाले निम्नलिखित गैर-परिवहन रूपांतरित यान पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय एकबारीय कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है :-

(i) किसी शारीरिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्ति के लिए किट रिट्रोफिटिड/रूपांतरित दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया गाड़ी; और

(ii) किसी शारीरिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा चलाने योग्य आटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले चार पहिया यान।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/पार्ट/4]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.685.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.12.2021 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित पाये गये अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे

दी गयी सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के आधार पर 31.12.2021 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)	31.12.2021 तक कारित अपराध के लिए यान के लिए संदेय शमन रकम
1	2	3
1.	1 लाख तक	अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय रकम का 25 प्रतिशत
2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	25,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 लाख से अधिक की रकम का 10 प्रतिशत
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	1,15,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 10 लाख से अधिक की रकम का 8 प्रतिशत
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	2,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 25 लाख से अधिक की रकम का 6 प्रतिशत
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	3,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 50 लाख से अधिक की रकम का 4 प्रतिशत
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	4,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./ 87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 75 लाख से अधिक की रकम का 2 प्रतिशत
7.	1 करोड़ से अधिक	5,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 करोड़ से अधिक की रकम का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) यान के लिए शमन रकम, यान के बीमा प्रमाणपत्र में दिये गये बीमा मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगी।

(ii) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए शमन रकम 7,500/- रु. से अधिक नहीं होगी।

यह अधिसूचना 31.03.2022 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट1/5]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 24, 2021

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(11)FD/Tax/2022-103 to 106, No.F.4(2)FD/Tax/2022-107 to 127 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2022-23/8A, 1, 3E, No.6(260)Pari/Tax/Hqrs/2011/2, No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/Part/4 and F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/Part1/5 dated February 23, 2022.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.655.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following **"Amnesty Scheme-2022",** hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the **Amnesty Scheme-2022**.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.8.2022.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means any of the following Acts:-

(i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);

(ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);

(iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);

(iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);

(v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);

(vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);

(vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);

(viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and

(ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);

(b) "Admitted Tax" means any amount which is admitted by the dealer or person in the return furnished or in writing before any authority;

(c) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;

(d) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;

(e) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;

(f) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(g) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(h) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(i) "Disputed Amount", means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;

(j) "Final amount", means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification/ reassessment etc., if any;

(k) "Government Entity" means any Department of Government of Rajasthan, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government of Rajasthan has a share capital;

(l) "Installment" means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;

(m) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;

(n) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S.No.	Phase	Period
1.	Phase-I	Upto 30.06.2022
2.	Phase-II	01.07.2022 to 31.07.2022
3.	Phase-III	01.08.2022 to 31.08.2022

; and

(o) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S. No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	**2**	**3**	**4**
1.	Outstanding demand which relates to declaration forms.	(a) The applicant has submitted any of the following, alongwith an undertaking and details of declaration forms:- (i) counterfoil of the declaration form(s); or (ii) proof of prior submission of declaration form(s); or (iii) any other proof of inter-state sale or movement of goods.	Whole amount of difference tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
		(b) In cases not covered by (a) above,- (i) **Phase-I:** The applicant has deposited 20% of the difference tax. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 25% of the difference tax. (iii)**Phase-III:** The applicant has deposited 30% of the difference tax.	Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

2.	Outstanding demand/ disputed amount, whether penalty has been imposed or not,- (i) which relates to rate of tax/ classification of goods/ interpretation of Act; or (ii) which relates to sale mismatch or mismatch of Input Tax Credit or wrongly availed Input Tax Credit other than that covered under serial number 3 of this Table; or (iii) which relates to evasion cases other than those covered under serial number 3 of this Table; or (iv) which relates to The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 and the transactions have been disclosed in the books of accounts and/or returns; or (v) which relates to The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988; or (vi) which relates to The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957; or (vii) which relates to The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990; or (viii) which relates to The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994; or (ix) for which any show cause notice has been issued or	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 40% of the amount of tax of the outstanding demand or disputed amount. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 45% of the amount of tax of the outstanding demand or disputed amount. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 50% of the amount of tax of the outstanding demand or disputed amount.	Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

	against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority; or (x) against which a proceeding has been initiated under The Revenue Recovery Act, 1890 / The Rajasthan Land Revenue Act, 1956.		
3.	Outstanding demand or disputed amount,- (i) which relates to wrongly availed Input Tax Credit pertaining to false or forged invoices; or (ii) pertaining to evasion cases, which relates to unaccounted goods and/or concealment of transaction(s) of sale/ purchase from books of accounts.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited the whole amount of tax. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 5% of penalty. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 10% of penalty.	Whole amount of interest, whole/ remaining amount of penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
4.	Outstanding demand/ disputed amount which relates exclusively to interest and is more than rupees twenty five crore.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited 40% of interest. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited 45% of interest. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited 50% of interest.	Remaining amount of interest along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
5.	Outstanding demand/ disputed amount against any Government Entity and any establishment of the Ministry of Defence, Government of India.	Not applicable	Whole amount of tax and amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

6.	Outstanding demand or disputed amounts not covered under category 1, 2, 3, 4 or 5 above.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited 75% of the amount of tax. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited 80% of the amount of tax. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited 85% of the amount of tax.	Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly installments as under:

S. No.	**Amount required to be deposited as per Table-A above (in Rs.)**	**Maximum number of installments allowed**
1.	Upto 50 lakh	4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	5
3.	More than 1 crore	6

The time period for making the payment in installments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first installment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme. Payment of subsequent installments shall become due after every thirty days of making payment of first installment. In case, the applicant who has opted for making payment in installments, fails to pay the required installments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required installments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.

(3) Where the outstanding demand or disputed amount comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(4) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.

(5) Where the outstanding demand or disputed amount pertaining to the period upto 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

(6) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.

(7) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1) to clause 4 above, as the case may be;

(ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and

(iii) No refund shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website **www.rajtax.gov.in** regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demands/disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 6 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2021.- (1) In cases where the required amount under Amnesty Scheme-2021 has already been deposited, AS-II shall be generated as per the procedure laid down in this regard by the Commissioner, Commercial Taxes under the said scheme.

(2) In all other cases in which any task is pending under Amnesty Scheme-2021, where payment has either not been made or partially made prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under Amnesty Scheme-2021 shall deemed to have been submitted under Phase-I of this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per Table-A of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2021 shall be adjusted against the amount required to be paid as per Table-A of this scheme.

(3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2021 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-103]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.656.-In exercise of the powers conferred by section 51A and 51B of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following **"Amnesty Scheme**

for goods not subsumed in GST", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme for goods not subsumed in GST.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.8.2022.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts created upto 31.01.2022 under any Act, pertaining to the goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means any of the following Acts:-
  (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
  (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
  (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956); and
  (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);

(b) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;

(c) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;

(d) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;

(e) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(f) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(g) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(h) "Disputed Amount", means any tax, interest, fee or penalty against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;

(i) "Final amount" means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification /reassessment etc., if any;

(j) "Installment" means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;

(k) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;

(l) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S.No.	Phase	Period
1.	Phase-I	Upto 30.06.2022
2.	Phase-II	01.07.2022 to 31.07.2022
3.	Phase-III	01.08.2022 to 31.08.2022

; and

(m) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S. No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	**2**	**3**	**4**
1.	Outstanding demand or disputed amount pertaining to evasion cases and created upto 31.03.2017.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited the whole amount of tax. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 5% of penalty. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 10% of penalty.	Remaining amount of penalty, whole amount of interest and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
2.	Outstanding demand or disputed amount pertaining to evasion cases and created after 31.03.2017 and upto 31.01.2022.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 15% of interest and 15% of penalty. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 20% of interest and 20% of penalty. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 25% of interest and 25% of penalty.	Remaining amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
3.	Outstanding demand which relates to declaration forms.	(a) The applicant has submitted any of the following, alongwith an undertaking and details of declaration forms:- (i) counterfoil of the declaration form(s); or	Whole amount of difference tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of

		(ii) proof of prior submission of declaration form(s); or (iii) any other proof of inter-state sale or movement of goods.	order under this scheme.
		(c) In cases not covered by (a) above,- (i) **Phase-I:** The applicant has deposited 20% of the difference tax. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 25% of the difference tax. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited 30% of the difference tax.	Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
4.	Outstanding demand or disputed amounts created upto 31.03.2017 and not covered under category 1 or 3 above.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited 90% of tax. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited 95% of tax. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited 100% of tax.	Remaining amount of tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
5.	Outstanding demand or disputed amounts created after 31.03.2017 and upto 31.01.2022 and not covered under category 2 or 3 above.	(i) **Phase I:** The applicant has deposited whole amount of tax. (ii) **Phase II:** The applicant has deposited whole amount of tax along with 10% of the amount of interest, if any. (iii) **Phase III:** The applicant has deposited whole amount of tax along with 20% of the amount of interest, if any.	Remaining amount of interest, whole amount of penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and

in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly installments as under:

S. No.	Amount required to be deposited as per Table-A above (in Rs.)	Maximum number of installments allowed
1.	Upto 50 lakh	4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	5
3.	More than 1 crore	6

The time period for making the payment in installments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first installment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme. Payment of subsequent installments shall become due after every thirty days of making payment of first installment. In case, the applicant who has opted for making payment in installments, fails to pay the required installments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required installments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.

(3) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.

(4) Where the outstanding demand or disputed amount has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

(5) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.

(6) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order. In such cases, the assessing authority concerned shall submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1) to clause 4 above, as the case may be;

(ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and

(iii) No refund shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demands/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 5 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-104]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.657.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 21.- In sub-rule (1) of rule 21 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006,-

(i) the existing first proviso shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that the Commissioner, being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the declaration forms/certificates pertaining to any period."; and

(ii) the existing second proviso shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-105]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.658.-In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2000 (Act No. 12 of 2000), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts the persons from tax payable under the said Act against whom any demand is outstanding on the date of this notification, subject to the condition that the amount of tax, interest and/or penalty, if any, already deposited, shall not be refunded.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-106]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.659.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-280 dated 24.02.2021, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) the existing clause 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"**5. Rates of land for agro-industrial purposes**

Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land is being used for agro-industrial purposes shall be equal to 1.5 times of the rates of agriculture land of that area."

(ii) the existing clause 12 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"**12. Rates of residential and commercial plots having area of 1000 sq. meters or more**

Rates of residential or commercial plots having area of 1000 sq. meters or more shall be as follows:-

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee or determined by the State Government shall be reduced as under
1.	1000 to 2000 sq. meters	5 %
2.	More than 2000 sq. meters and upto 3000 sq. meters	10%
3.	More than 3000 sq. meters	15%

";

(iii) after the existing clause 20 and entries thereto and before the existing Note (i) , the following new clauses 21, 22, 23 and 24 and entries thereto shall be inserted, namely:-

"21. Rates of land for tourism unit purposes

Rates of land converted or being used for tourism unit as defined in the Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, excluding the units specified in clause 22 and 23 shall be equal to the rates of industrial land of that area.

22. Rates of land for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park and animal safari park purposes

Rates of land converted or being used for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park or animal safari park as defined in the Tourism

Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, shall be equal to the rates of the agriculture land of that area.

23. Rates of land for convention centre, community centre and community hall purposes

Rates of land converted or being used for convention centre, community centre or community hall purposes in urban area shall be equal to the rates of residential land of that area and in rural areas shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

Explanation: Rates specified in clause 21, 22 and 23 above shall be applicable only when the purchaser or leaseholder, as the case may be, submits the certificate or approval in this regard issued by the Ministry of Tourism, Government of India or the Tourism Department of Rajasthan.

24. Rates of land for warehouse purposes

Rates of land converted or being used for warehouse purposes shall be equal to the rates of the industrial land of that area."; and

(iv) in the existing Note (i), for the existing expression "clauses 1 to 20", the expression "clauses 1 to 24" shall be substituted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-107]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.660.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of four percent, if such conveyance deed is executed and presented for registration upto 31.03.2023.

This notification shall come into force with effect from 01.04.2022.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-108]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.661.-In exercise of the powers conferred by section 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 58.-** In sub-rule (3) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that during the financial year 2022-2023, such increase in the existing rate shall be five percent."

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-109]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.662.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-275 dated 24.02.2021, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the release deed of ancestral property specified in clause (a) of Article 48 of the Schedule of the said Act shall be reduced and charged rupees five hundred.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-110]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.663.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(17)FD/Tax/2019-49 dated 01.08.2019, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty payable in excess of rupees fifty crore on the conveyance deed relating to order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of companies, shall be remitted.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-111]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.664.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(20)FD/Tax/2005-219 dated 24.03.2005, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of sale or lease of Heritage Property in the State, for the purpose of development of Hotel shall be reduced by 75 percent on submission of certificate or approval in this regard issued by the Ministry of Tourism, Government of India or the Tourism Department, Government of Rajasthan.

Explanation: "Heritage property" means a fort, a fortress, a palace, a haveli, a castle, hunting lodge or residences with heritage features, built prior to 01.01.1950 and approved by the Ministry of Tourism, Government of India or the Tourism Department, Government of Rajasthan.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp

duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-112]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.665.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of sale of residential plot having the area upto 100 sq. yard, or commercial plot having the area upto 50 sq. yard, whether vacant or constructed, shall be reduced and charged at the rate of 5 percent.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-113]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.666.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-235 dated 09.03.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty payable on the subsequent conveyance deed of an immovable property, excluding unit of multistory building exceeding four floors, shall be reduced as under:-

S. No.	Period of Subsequent Conveyance	Stamp duty payable on subsequent conveyance deed shall be reduced by an amount-
1.	Within one year from the date of registration of preceding conveyance deed of such property	equal to 15% of the amount of stamp duty paid on immediate preceding conveyance deed

2.	Within two years from the date of registration of preceding conveyance deed of such property	equal to 10% of the amount of stamp duty paid on immediate preceding conveyance deed
3.	Within three years from the date of registration of preceding conveyance deed of such property	equal to 5% of the amount of stamp duty paid on immediate preceding conveyance deed

This notification shall remain in force upto 31.03.2025.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-114]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.667.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments, with immediate effect, in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-274 dated 24.02.2021, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, the existing clause (ii) and (iii) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) daughter or daughter-in-law shall be exempted;
(iii) wife shall be exempted;"

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-115]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.668.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification

number F.4(4)FD/Tax/2020-132 dated 20.02.2020, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of sale certificate or sale deed or lease deed executed in case of public auction of immovable property shall be charged on auction price.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-116]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.669.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-272 dated 24.02.2021, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

8.	The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/ executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.	at the rate of conveyance on the amount of consideration charged on account of allotment or sale.

"

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-117]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.670.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that outstanding demand of stamp duty, interest and penalty shall be remitted in the category of cases decided by or pending before the Collector (Stamps), Rajasthan Tax Board or any other Courts as specified in column number 2 to the extent specified in column number 4 and 5, subject to the conditions specified in column number 3 in the table given below:-

Table

S. No.	Category of cases	Conditions	Remission	
			Stamp duty	Interest and Penalty
1	2	3	4	5
1.	Outstanding demand relating to cases registered on or before 01.04.2001	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2022	50%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2022	45%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2022	40%	100%
2.	Outstanding demand relating to cases registered after 01.04.2001 and on or before 31.03.2011	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2022	40%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2022	35%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2022	30%	100%
3.	Outstanding demand relating to cases registered after 01.04.2011 and on or before 31.03.2016	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2022	30%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2022	25%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2022	20%	100%
4.	Outstanding demand relating to cases registered after 01.04.2016 and on or before 31.03.2021	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2022	20%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2022	15%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2022	10%	100%

Note: 1. The amount deposited under the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
2. Stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-118]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.671.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the interest and penalty payable on the stamp duty shall be remitted if the demand of stamp duty is created on the basis of audit or inspection by the competent authority after registration of the documents and the increased amount of stamp duty is deposited within one month from the date of the first demand notice.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-119]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.672.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(15)FD/Tax/2015-119 dated 27.01.2020, F.4(3)FD/Tax/2017-103 dated 08.03.2017 and F.4(3)FD/Tax/2017-104 dated 08.03.2017, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

Table

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1	**2**	**3**
1.	Debt assignment executed in respect of performing assets (standard assets)	0.25 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.
2.	Instruments specified in clause (d) of Article 5 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.
3.	Instruments specified in Article 6 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.
4.	Instruments specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.
5.	Instruments specified in clause (b) of Article 37 of the Schedule of the Act	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-120]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.673.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fees chargeable on the instruments relating to reverse mortgage executed by a senior citizen shall be remitted.

Explanation: (i) A citizen who has completed the age of 60 years shall be deemed to be a senior citizen.

(ii) Where the instrument of reverse mortgage is executed by a married couple jointly, the benefit of exemption under this notification shall be available if at least one of them has completed the age of 60 years.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-121]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.674.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that in respect of the sale deed executed in favour of a senior citizen,-

(i) the stamp duty shall be reduced and charged at the rate of 5 percent; and

(ii) the registration fees shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent.

Explanation: (i) A citizen who has completed the age of 60 years shall be deemed to be a senior citizen.

(ii) Where the sale deed is executed in favour of a married couple jointly, the benefit of exemption under this notification shall be available if at least one of them has completed the age of 60 years.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-122]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.675.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fees chargeable on the instruments relating to loan executed by or on behalf of a student for educational purposes shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-123]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.676.-In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-276 dated 24.02.2021 and F.4(2)FD/Tax/2021-286 dated 24.02.2021, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that in respect of the instrument involving transfer of immovable property on conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice versa* or on conversion of cooperative society, society, proprietorship firm or any other business entity into company,-

(i) stamp duty shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent; and

(ii) registration fees in excess of rupees ten thousand shall be remitted.

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-124]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.677.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments executed in favour of an enterprise eligible under the Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Adiwasi Enterprises Investment Scheme, 2022 shall be reduced by 75 percent on submission of the entitlement certificate issued by the competent authority under the said Scheme:-

(i) instrument of purchase or lease of the land with or without construction; or

(ii) instruments relating to loan or mortgage.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-125]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.678.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of purchase or lease of the land with or without any construction executed in favour of a tourism unit eligible under the Rajasthan Rural Tourism Scheme issued by the State Government, from time to time, shall be reduced by 75 percent on submission of the entitlement certificate issued by the competent authority under the said Scheme.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-126]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

S.O.679.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(15)FD/Tax/2010/pt.-99 dated 17.12.2019, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of purchase or lease of land with or without construction executed in favour of an enterprise eligible under the Rajasthan Investment Promotion Scheme issued by the State Government, from time to time, shall be reduced by 75 percent on submission of the entitlement certificate issued by the competent authority under the said Scheme.

[No.F.4(2)FD/Tax/2022-127]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.680.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/8 dated 10.07.2019, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts fifty percent of the Motor Vehicle Tax payable under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 4 of the said Act on the following vehicles:-

(i) Vehicles originally manufactured by vehicle manufacturers as such and solely driven by Liquefied Petroleum Gas (LPG) or Compressed Natural Gas (CNG); and

(ii) Vehicles converted to be driven solely by Compressed Natural Gas (CNG) by retro fitment kit subject to endorsement of such retro fitment in the registration certificate. The amount of tax, if any, paid prior to endorsement of retro fitment in the registration certificate shall not be refunded.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2022-23/8A]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.681.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendments) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 25.- The existing sub-rule (2) of rule 25 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951 shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The period of surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages. The period of such surrender shall not be more than one hundred eighty days in a calendar year for all categories of vehicles except in case of theft of the vehicle."

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2022-23/1]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.682.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 Dated 10.07.2019, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In proviso of the said notification,-

(i) in clause (iii-a), for the existing expression "50%", the expression "30%" shall be substituted; and

(ii) after the existing clause (ix) and before the existing note, the following new clause (x) shall be inserted, namely:-

"(x) the tax for the month of March on stage carriages, other than those plying exclusively within the municipal limits, shall be equal to $1/4^{th}$ of the tax payable, if the applicable tax for preceding eleven month is paid within time as specified in sub-clause (v) of clause (A) of rule 4 of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Rules,1951.".

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2022-23/3E]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.683.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles, if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which vehicle was destroyed is deposited on or before 31.03.2022; and

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.12.2021 on vehicle other than the destroyed vehicles, if,-

(a) penalty and interest, if any, due after 31.12.2021 on Motor Vehicle Tax, One Time Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2022; and

(b) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2022.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner may apply before the Taxation Officer for the exemption.

(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.

(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by the Registering Authority.

(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.

(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(260)/Pari/Tax/Hqrs/2011/2]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.684.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/4 dated 09.03.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from the payment of One Time Tax payable under section 4 of the said Act, on the following non transport adapted vehicles having cost not exceeding ten lacs registered on the name of the person suffering from any physical defect or disability and used solely by him:-

(i) Two wheeled/three wheeled/four wheeled carriages retrofitted/adapted with kit for person suffering from any physical defect or disability; and

(ii) Four wheeled vehicles having automatic transmission suitable to be driven by the person suffering from any physical defect or disability.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/Part/4]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

S.O.685.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.12.2021 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, namely:-

Table

S. No.	Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.12.2021 on the basis of this department's notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021 (in Rs.)	Compounding amount payable for a vehicle for offence committed upto 31.12.2021
1	**2**	**3**
1.	Upto 1 lakh	25% of the amount payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
2.	Above 1 lakh and upto 10 lakh	Rs. 25,000/- + 10% of the amount above 1 lakh payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
3.	Over 10 lakh and upto 25 lakh	Rs. 1,15,000/- + 8% of the amount above 10 lakh payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
4.	Above 25 lakh and upto 50 lakh	Rs. 2,35,000/- + 6% of the amount above 25 lakh payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
5.	Above 50 lakh and upto 75 lakh	Rs. 3,85,000/- + 4% of the amount above 50 lakh payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
6.	Over 75 lakh and upto 1 crore	Rs. 4,85,000/- + 2% of the amount above 75 lakh payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
7.	More than 1 crore	Rs. 5,35,000/- + 1% of the amount above 1 crore payable under notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021

Provided that,-

(i) the compounding amount for a vehicle shall not be more than half of the insured value given in the Insurance Certificate of the vehicle.

(ii) the compounding amount for Agriculture Tractor-Trolley shall not be more than Rs. 7,500/- .

This notification shall remain effective upto 31.03.2022.

[No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part1/5]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur